न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 9/2016 – निगरानी

1. ग्राम पंचायत पण्डेर , जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री जगन्नाथ गाडोलिया निवासी पण्डेर , ग्राम पंचायत पण्डेर , पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

निगरानी विरूद्व पट्टा सं. 02 बुक सं. 543 दिनांक 29.01.2013

उपस्थित –

1. श्री कमल काष्ट अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता गैरनिगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 22/2/2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 26.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत पण्डेर के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा बिना किसी प्रकार की पत्रावली कायम किये पटटा सं. 02 बुक सं. 543 दिनांक 29.01.2013 को एक ही दिन में निशुल्क पटटा गैर निगराकार के पक्ष में जारी कर दिया जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के विरूद्व होने से निरस्त किया जाना न्यायसंगत है । ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा गैर निगराकार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र दिये बिना ही निशुल्क पटटा पत्रावली कायम किये बिना ही जारी कर दिया जो विधि विरूद्व होने से पटटा निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त पटटे की जमीन में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी खुली नीलामी से पटटे / भूमि विकय के संबंध में आदेश दिये थे जिसमें ग्राम पंचायत पण्डेर पक्षकार होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं कर नियम विरूद्व पटटा जारी कर दिया तो निरस्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार को उक्त पटटा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियमितीकरण का पटटा जारी किया गया जबकि वर्तमान में पटटे में प्रदर्शित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

नक्शे के आधार पर गैर निगराकार का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा न ही कच्चा पक्का मकान बना हुआ है । इस कारण पटटा अवैध है । गैर निगराकार की मिसल राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत बनाई गयी है जबकि पटटा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो पूर्णतय गलत है । गैर निगराकार के पक्ष में पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में सिंचित भूमि है एवं आय का अच्छा साधन है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार को जारी पटटा सं. 02 दिनांक 29.01.2013 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पण्डेर से पत्रावली सं. 1417 दिनांक 29.01.2013 तलब की जाने पर सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की दिनांक 13.02.2017 को बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 15 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा गैर निगराकार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र दिये बिना ही निशुल्क पटटा पत्रावली कायम किये बिना ही जारी कर दिया जो विधि विरूद्व होने से पटटा निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त पटटे की जमीन में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी खुली नीलामी से पटटे / भूमि विक्रय के संबंध में आदेश दिये थे जिसमें ग्राम पंचायत पण्डेर पक्षकार होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं कर नियम विरूद्व पटटा जारी कर दिया तो निरस्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार की मिसल राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत बनाई गयी है जबकि पटटा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो पूर्णतय गलत है । गैर निगराकार के पक्ष में पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में सिंचित भूमि है एवं आय का अच्छा साधन है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार को जारी पटटा सं. 02 दिनांक 29.01.2013 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार गाडोलिया लौहार है । पटटा जारी होने के बाद पक्का मकान बनाया है । गैर निगराकार के पास पूर्व में कोई मकान नहीं है । ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा एक साथ पटटे जारी किये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

से फोटोस्टेटे नोटशीट पर कार्यवाही की गयी । प्रकिया पूर्ण की जाकर पटटे जारी किये गये। अतः निगराकार की निगरानी निरस्त फरमायी जावे ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । गैर निगराकार को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत आबादी भूमि का निशुल्क आंवटन दिनांक 29.01.2013 को किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 इस प्रकार है – " भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन (1) पंचायत, गांव, आबादियों में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को , गांव के कारीगरों , श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों , एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं गृह स्थल / गृह नहीं है और ऐसे बाढगस्तों को भी जिनके गृह बह गयें या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी । (परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निशुल्क आवंटन कर सकेगी । (और ऐसी भूमि का पटटा प्रारूप 2 3 ग में जारी किया जा सकेगा)) ।

गैर निगराकार के पक्ष में निशुल्क जारी पटटा सं. 02 बुक सं. 543 जारी दिनांक 29.1.2013 के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा मूल पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे गैर निगराकार के पक्ष में जारी पटटे के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा विधिक कार्यवाही की है या नहीं ? स्पष्ट नहीं होता हैं। गैर निगराकार के बीपीएल सदस्य होने का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं हुआ है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गैर निगराकार ने निशुल्क आबादी भूमि आंवटन हेतु सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर ने भी गैर निगराकार के पक्ष में आबादी भूमि के निशुल्क पटटे जारी करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित नहीं करवायी है । गैर निगराकार के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जारी निशुल्क पटटा सं. 02 बुक सं. 543 जारी दिनांक 29.01.2013 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में विहित शर्तो की पालना नहीं की गई । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से लगायत 149 में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं करके गैर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

निगराकार के पक्ष में निशुल्क भूखण्ड का पटटा जारी किया है जो अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर विरूद्ध पटटा सं. 02 बुक सं. 543, जारी दिनांक 29.01.2013 के कम में स्वीकार की जाकर गैर निगराकार के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जारी निशुल्क पटटा सं. 02 बुक सं. 543 जारी दिनांक 29.01.2013 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में विहित शर्तों की पालना नहीं की जाने से गैर निगराकार के पक्ष में जारी पटटा सं. 02 बुक सं. 543 दिनांक 29.01.2013 को अपास्त किया जाता है । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को निर्देश दिया जाता है कि तथाकथित पटटा विलेख व पत्रावली पर निरस्तीकरण के आदेश उल्लेखित किया जावे । निर्णय प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 22/2/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/02/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा